

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Chartered Accountants Act, 1949, the Cost and Works Accountants Act, 1959 and the Company Secretaries Act, 1980.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 और कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आइटम

नंबर 26, 27 और 28 से पहले जो आइटम नंबर 29 है, जो सरोगेसी रेगुलेशन बिल लगा हुआ है, आइटम नंबर 29 को पहले चर्चा के लिए ले लिया जाए ।...
(व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की सहमति हो तो आइटम नंबर 29 को पहले ले लिया जाए?

... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ... (व्यवधान)